

क्रमांक 3327003 / छ.ग. / 2007 / पार्ट-2
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग, सिहावा-भवन,
छत्तीसगढ़, रायपुर

दिनांक / 04 / 2018

प्रति,

वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- क्रमोन्नति शासनादेश की प्रति सौंपने बाबत-श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, तत्कालीन सहायक अभियंता।

संदर्भ :- छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का आदेश क्रमांक 1123 / 1118 / 31 / स्था. / 2017 दिनांक 31.03.2018.

विषयांतर्गत कृपया शासन के उपरोक्त संदर्भित आदेश की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है। प्रकरण में संबंधित श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, तत्कालीन सहायक अभियंता को क्रमोन्नति वेतनमान शासनादेश की प्रति सौंपकर पालन प्रतिवेदन से शासन एवं इस कार्यालय को अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृष्ठा. क्रमांक 3327003 / छ.ग. / 2007 / पार्ट-2 / 6/26
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक / 0 / 04 / 2018

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर की ओर उनके उपरोक्त संदर्भित आदेश के तारतम्य में सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. संबंधित श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
3. कार्यपालन अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. मास्टर नस्ती।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

सहपत्र :- उपरोक्तानुसार।
(स.क्र.-02 से 04 हेतु)

अधीक्षण अभियंता (प्रशा.)
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
छत्तीसगढ़, रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर
-:: आदेश ::-



रायपुर, दिनांक

क्रमांक / 1118 / 31 / स्था. / 2017 :: राज्य शासन एतद् द्वारा, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) के ज्ञापन क्रमांक एफ 01-01-एक/वे.आ.प्र. / 1999, दिनांक 17.03.1999/19.04.1999 सहपठित ज्ञापन दिनांक 25.09.1999/12.10.1999 तथा छ.ग.शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर के जारी परिपत्र क्रमांक एफ 10-02/2004/1/3, दिनांक 28.07.2004 में निहित निर्देशों के तहत दिनांक 22.01.2018 को सम्पन्न विभागीय क्रमोन्नति समिति की बैठक में श्री कृष्ण कुमार शुक्ला, तत्कालीन सहायक अभियंता को दिनांक 19.04.1999 से रु. 10000-325-15200/- प्रथम क्रमोन्नति वेतनमान एवं दिनांक 09.01.2003 से रु. 10650-325-15850/- द्वितीय क्रमोन्नति वेतनमान स्वीकृत किया जाता है।

2/ उच्चतर वेतनमान में वेतन नियतन पश्चात शासकीय सेवक के वेतन नियतन की जांच कार्यालय प्रमुख द्वारा संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन से करा ली जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजीव अहिरे)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

रायपुर, दिनांक 31/03/2018

पृष्ठांकन 1124/ 1118 / 31 / स्था. / 2017,
प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकार, छ0ग0 रायपुर।
2. मान0 मंत्रीजी के विशेष सहायक, छ0ग0 शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
3. निज सचिव, सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, रायपुर।
4. आयुक्त, कोष लेखा एवं पेंशन, छ0ग0 रायपुर।
5. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
6. मुख्य अभियंता,
7. अधीक्षण अभियंता,
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय,
9. श्री के.के.शुक्ला, तत्कालीन सहायक अभियंता द्वारा-प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, सिहावा भवन, रायपुर।
10. आदेश फोल्डर।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग

Order.doc-4

